भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *293

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

वाणिज्यिक अधिकरणों का कामकाज और कार्य-निष्पादन

***293. श्री मनीश तिवारी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के वाणिज्यिक अधिकरणों के कामकाज में आने वाली चुनौतियों से संबंधित निष्कर्षों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक अधिकरणों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं जिससे आर्थिक कार्यकलापों तथा व्यापार करने में सुगमता पर प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण और आयकर अपीलीय अधिकरण जैसे प्रमुख अधिकरणों में रिक्त पदों, लंबित मामलों और उनके निपटान की दरों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने लंबे समय से रिक्त पदों, प्रक्रियागत विसंगतियों, पारदर्शिता की कमी और क्षेत्राधिकार अतिव्याप्ति जैसी समस्याओं की पहचान की है जिनसे अधिकरण की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग जैसे संस्थागत तंत्र स्थापित करने अथवा प्रौद्योगिकी आधारित सुधार करने का है ; और

(च) वाणिज्यिक विवादों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और देश के विवाद समाधान ढांचे में निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया है ।

<u>वाणिज्यिक अधिकरणों के कामकाज और कार्य-निष्पादन के संबंध में माननीय संसद् सदस्य श्री मनीश तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *293, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) : 2021 की रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (सी) संख्यांक 1018 मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 19.11.2025 को दिए गए निर्णय सहित उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनके द्वारा अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, वेतन और भत्तों, पदत्याग, हटाने जाने तथा सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित विभिन्न उपबंधों का प्रशासन किया जाता हैं।

(ख) से (घ) : सरकार को किसी भी अधिकरण से किसी भी कारण से अधिकरणों की कार्यकुशलता प्रभावित होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण तथा आयकर अपील अधिकरण में रिक्तियों का विवरण **उपाबंध-1** पर दिया गया है। मामलों के लंबित रहने और उनके निपटान की दर का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

(ङ) और (च) : समय-समय पर अधिनियमित कानूनी उपबंधों अन्य बातों के साथ-साथ, इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और उसके निदेशों के निष्कर्षों को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाएगा। मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायनिर्णायक सदस्यों के रिक्त पदों को समय पर भरना, डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयीन सुनवाई आयोजित करना, अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन वाद प्रबंधन प्रणाली, और प्रशासनिक दक्षता की सतत मानीटरी सम्मिलित हैं।

****

उपाबंध-1

वाणिज्यिक अधिकरणों के कामकाज और कार्य-निष्पादन के संबंध में माननीय संसद् सदस्य श्री मनीश तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *293, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

अधिकरण का नाम	पद/कर्मचारी का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
आय कर अपील अधिकरण (आईटीएटी)				
2024- 25	अध्यक्ष/सदस्य	126	80	46
	रजिस्ट्री	987	578	409
2025- 26	अध्यक्ष/सदस्य	126	110	16
	रजिस्ट्री	987	565	422
2026- 27	अध्यक्ष/सदस्य	126	112	14
	रजिस्ट्री	969	687	282
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)				
2023- 24	अध्यक्ष/सदस्य	12	11	1
	रजिस्ट्री	51	10	41
2024- 25	अध्यक्ष/सदस्य	12	10	2
	रजिस्ट्री	51	21	30
2025- 26	अध्यक्ष/सदस्य	12	11	1
	रजिस्ट्री	111	26	85
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)				
03.08.2026 को	अध्यक्ष/सदस्य	63	51	12
	रजिस्ट्री	320	67	253
ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)				
वर्तमान में, उन्तालीस (39) ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में से सात (7) डीआरटी रिक्त हैं । तथापि, अन्य डीआरटी के पीठासीन अधिकारियों को इन डीआरटी के सुचारू संचालन के लिए उनके नियमित प्रभार के अलावा उपरोक्त डीआरटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।				

उपाबंध-2

वाणिज्यिक अधिकरणों के कामकाज और कार्य-निष्पादन के संबंध में माननीय संसद् सदस्य श्री मनीश तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *293, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

अधिकरण का नाम	वर्ष	लम्बित मामले (अग्रनीत)	संस्थित मामले	निपटान गए मामले	निपटान दरें (औसत) %	लम्बित मामले
आय कर अपील अधिकरण (आईटीएटी)	2024- 25	38759	51164	46370	51.57	43553
	2025- 26	43553	72249	55794	48.18	60008
	2026- 27 (30.06.2026 तक)	60008	24664	16654	19.67	68018
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)	2023- 24	21664	7947	9818	33.16	19793
	2024- 25	19946	9065	14150	48.61	14961
	2025- 26	15045	8419	8651	36.87	14813
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	2023- 24	2192	2841	2319	46.07	2714
	2024- 25	2714	3379	2575	42.26	3518
	2025- 26	3518	3339	2779	40.52	4078

डीआरटीएस में लम्बित और निपटान दरों का विवरण

ऋण वसूली अधिकरण (मूल आवेदन (ओए) और प्रतिभूतिकरण आवेदन (एसए))			
वित्तीय वर्ष	**निपटाए गए मामले**	**लंबित मामले**	**प्रति डीआरटी का प्रति वर्ष औसत निपटान**
2023- 24	52541	218060	1347.21
2024- 25	45378	233901	1163.54
2025- 26	52902	252771	1356.46
2026- 27 (30.06.2026 तक)	12739	259814	--

****